न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती अंशुल आमेरिया (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 135 / 2014

उनवान

1. रामजीलाल पुत्र बजरंगदास
2. चन्द्रप्रकाश,
3. ललित किशोर,
4. गणेश पि. रामपाल,
5. रामप्यारी पत्नी रामपाल जाति साधू नि. ग्राम देराठू, नसीराबाद

––– वादीगण :– जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. बगता पुत्र हीरा,
2. जंगली पुत्री हीरा,
3. सुन्दर पुत्री हीरा,
4. शान्ति पत्नी हणुता,
5. सुरजकरण पुत्र हणुता,
6. प्रेम,
7. रामेश्वरी पुत्रिया हणुता,
8. समौत्रा पत्नी रामचन्द्र,
9. भागचन्द पुत्र रामचन्द्र,
10. भंवरलाल ना.बा. पुत्र रामचन्द्र चमार जरियें माता समौत्रा पत्नी रामचन्द्र,
11. सम्पति पुत्री रामचन्द्र जाति चमार नि. देराठू, नसीराबाद,
12. राज0 सरकार जरियें तहसीलदार, नसीराबाद

––– प्रतिवादीगण :– 12 जरिये राज0 पैरोकार, शेष अनुपस्थित

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

Signature Not Verified

[illegible] दिनांक :– 28.12.21

Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2024.01.08 13:59:35 IST
Reason: SelfAttested

अधिवक्ता वादीगण ने [illegible] कि ग्राम देराठू की निम्न आराजी वादीगण की पुश्तैनी खातेदारी की है :

चौसाला खसरा नम्बर	वर्किंग खसरा नम्बर	रकबा	[illegible]खसरा नम्बर	रकबा
218	224	1–7–0	[illegible]	0.22

उक्त आराजी के चौसाला खसरा नम्बर 218 रकबा 1–7–0 बजरंगदास मुतबन्ना पोखरदास के नाम चौसाला जमाबंदी सम्वत् 2013–2016 में खाता संख्या 326 में दर्ज है। खातेदार

––2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

बजरंगदास की मृत्यु हो गयी है के वारिस वादीगण ही है। वादीगण का उक्त आराजी पर पूर्वजों के समय से कब्जा काश्त चला आ रहा है। चौसाला खसरा नम्बर 218 के वंर्किग खसरा नम्बर 24 हाल खसरा नम्बर 313 को तत्कालीन खातेदार के वारिस वादीगण के नाम दर्ज करने के बजाय त्रुटिपूर्ण तरीके से प्रतिवादीगण के नाम बंदोबस्त विभाग द्वारा दर्ज कर दिया है। जिस कारण प्रतिवादी आराजी मुतनाजा पर दखलदांजी कर रहे है तथा अन्यत्र हस्तांतरण करने पर आमादा है। अतः आराजी मुतनाजा का खातेदार वादीगण को घोषित किया जावे। प्रतिवादी को जरियें स्थायी निषेघाज्ञा पाबंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 11 प्रकरण में अनुपस्थित रहे। राज0 पैरोकार ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि चौसाला जमाबंदी सम्वत् 2013–16 में नामान्तकरण संख्या 266/18.10.60 से हीरा पुत्र मांगू चमार के नाम दर्ज हुयी है। हाल जमाबंदी में उसके वारिसों के नाम दर्ज की गयी है। अतः वादी का वाद खारिज योग्य है।

अधिवक्ता वादी ने प्रकरण में साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया विद्धान अधिवक्ता वादीगण व राज0 पैरोकार की बहस पर मनन किया। वाद पत्र में उपलब्ध दस्तावेज अनुसार ग्राम देराठू के चौसाला खसरा नम्बर 218 रकबा 1–7–0 की आराजी चौसाला जमाबंदी सम्वत् 2013–16 में बजरंगदास पुत्र पोखरदा साधु के नाम भूमि अधिकी के रूप में दर्ज थी। इसी जमाबंदी में कालम संख्या 5 में कृषक के रूप में हीरा पुत्र मांगू चमार का नाम दर्ज है। तथा नामान्तकरण संख्या 266 दिनांक 18.10.1960 से उक्त आराजी हीरा पुत्र मांगू चमार के नाम दर्ज हुयी है। इसके बाद की चौसाला जमाबंदी सम्वत् 2017 से 20, 2021 से 24 व 2025 से 28 में भी उक्त आराजी हीरा पुत्र मांगू के नाम खातेदारी दर्ज है। चौसाला खसरा नम्बर 218 के वंर्किग खसरा नम्बर 224 भी वंर्किग जमाबंदी में हीरा पुत्र मांगू चमार के नाम दर्ज है। उक्त आराजी के हाल खसरा नम्बर 313 रकबा 0.22 हाल राजस्व अभिलेख में हीरा पुत्र मांगू के वारिसों के नाम दर्ज है। उक्त सभी राजस्व अभिलेख वादीगण द्वारा पेश किये गये है। वादीगण का कथन है कि खसरा नम्बर 218 रकबा 1–7–0 बजरंगदास मुतबन्ना पोखरदास के नाम चौसाला जमाबंदी सम्वत् 2013–2016 में खाता संख्या 326 में दर्ज है। किन्तु उक्त जमांबदी में वादीगण के पूर्वज का नाम भूमि अधिकारी की हैसियत से दर्ज था। वादीगण अथवा उनके पूर्वज उक्त आराजी पर काबिज नही थे। प्रतिवादीगण के पूर्वज हीरा पुत्र मांगू का उक्त आराजी पर कब्जा काश्त था। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अजमेर जिले में लागू दिनांक को वादीगण अथवा उनके पूर्वज का कब्जा काश्त आराजी मुतनाजा पर नही होने के कारण व भूमि पर हीरा पुत्र मांगू चमार का कब्जा होने के कारण काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान अनुसार आराजी मुतनाजा जरियें नामान्तकरण प्रतिवादीगण के पूर्वज के नाम विधिक रूप से दर्ज की गयी। वादीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया है जिसमे आराजी मुतनाजा पर उनका अथवा उनके पूर्वजों का कब्जा काश्त सिद्व होता हो। आराजी मुतनाजा कभी भी वादीगण/पूर्वज के नाम खातेदरी नही रही जबकि राजस्व अभिलेख अनुसार प्रतिवादीगण/पूर्वज के नाम आराजी मुतनाजा विधिवत तरीके से दर्ज की गयी है। वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण सिद्व नही होता है।

उक्तानुसार ग्राम देराठू के हाल खसरा [illegible] रकबा 0.22 की आराजी पर वादीगण का वाद **"खारिज"** किया [illegible] इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हों।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2024.01.08 13:59:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

रामजीलाल बनाम बगता

दावा बाबत :– 88, 188 राज. का. अधि0 1955 व 136 भू राज0 अधि0 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर – 135/2014
पेश करने की दिनांक – 21.10.14

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू अंशुल आमेरिया (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक सीताराम रावत मुद्दई राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम देराठू के हाल खसरा नम्बर 313 रकबा 0.22 की आराजी पर वादीगण का वाद **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक–––––– को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 28 माह 12 सन् 2022 को जारी की गयी।

मुद्दई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प कब्जे सबूत मेहनताना वकील फीस कमिश्नर खर्चा गवाहान बावत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी मेहनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक
मिजान	मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2024.01.08 13:59:35 IST
Reason: SelfAttested